डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 फरवरी, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 फरवरी, 2023

| वर्ष 66 | अंक 18 | भोपाल | 16 फरवरी, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

अमृतकाल में सहकारिता की अहम भूमिका, देश के विकास इंजन की महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगी सहकारी समितियां

नई दिल्ली। अमित शाह : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए 'अमृतकाल' के प्रथम बजट ने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्प को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने, करों में कमी लाने और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार किया गया यह विकासोन्मुखी बजट न केवल भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि वैश्विक निराशा के वातावरण को भी बदलने में सहायक होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में बढ़ई, सुनार, कुम्हार और अन्य कामगारों की मेहनत के महत्व को समझते हुए उनके हित में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कई योजनाएं लाई गई हैं। समाज में इन वर्गों के महत्वपूर्ण योगदान को एक लंबे समय से समुचित सम्मान और मान्यता की दरकार थी, जिसे इस बजट में पूरी प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंत्रालय का प्रभार दिया गया। इस बजट ने अनेक अनुकूल उपायों की घोषणा करके सहकारी क्षेत्र को एक आवश्यक बूस्टर खुराक प्रदान करने का काम किया है। बजट में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना की घोषणा की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण सुविधा होगी। यह सहकारिता की दिशा और दशा बदलने वाला निर्णय है। नई सहकारी निर्माण समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में 31 मार्च, 2024 से पहले कार्यरत समितियों पर 15 प्रतिशत की रियायती आयकर दर की घोषणा की गई है।

चीनी सहकारी मिलों को बहुप्रतीक्षित राहत देने का काम भी इस बजट में हुआ है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को अब 'व्यय' माना जाएगा। इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सहकारी समितियां लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधताओं के कारण इनके लाभ पूरे देश को समानता से नहीं मिल पा रहे है। तेजी से बढ़ रहे सहकारी क्षेत्र को कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एक 'राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय' स्थापित करने का भी काम हो रहा है।

हाल में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता ज्ञापन प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कामन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में समर्थ करेगा। जल्द ही प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को एफपीओ का दर्जा देने की पहल की जाएगी।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत निर्यात, बीज और आर्गेनिक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

सहकारी समितियां छोटे स्तर के उद्यमियों को उत्पादन लागत कम करने के लिए रियायती दरों पर कच्चे माल की खरीद में भी मदद करती हैं। साथ ही, वे उत्पादकों को बिक्री मूल्य में कटौती करने और उच्च बिक्री व लाभ सुनिश्चित करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बिचौलियों को हटाकर उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंच भी प्रदान करती हैं।

शहर-गांव के विभाजन को पाटने और आय सृजन के अवसर पैदा करने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों से खरीदी धान का लंबित भुगतान तत्काल किया जाए - मुख्यमंत्री

6 लाख 46 हजार 279 कृषकों से 9 हजार 427 करोड़ 60 लाख रूपए की धान की खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की धान उपार्जन की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धान उपार्जन के लिए निर्धारित अवधि में जो किसान धान नहीं दे पाए हैं, उन शेष रहे किसानों से धान खरीदी जाए। धान उपार्जन में जिन कृषकों का भुगतान लंबित है, उनका त्वरित भुगतान सुनिश्चित करें तथा धान खरीदी में अनियमितता करने वाली सेवा सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुई बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, आयुक्त सहकारिता श्री आलोक सिंह संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री दीपक सक्सेना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जानकारी दी गई कि 6 लाख 46 हजार 279 कृषकों से 9 हजार 427 करोड़ 60 लाख रूपए की धान खरीदी गई, जिसमें से 10 हजार 319 कृषकों को 214 करोड़ 20 लाख रूपए का भुगतान प्रक्रिया में है। प्रदेश में 1542 उपार्जन केन्द्र हैं, जिनमें से 1183 सहकारी समितियाँ, 328 स्व-सहायता समूह और 31 एफ.पी.ओ/एफ.पी.सी. हैं। धान उपार्जन में अनियमितता के लिए 11 संस्थाओं पर एफ.आई.आर दर्ज की गई है। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में सत्यापन के बाद धान उपार्जन का भुगतान किया जा रहा है।

पैक्स के जरिये सीएससी की सुविधाएं देने के लिए सहकारिता मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एमओयू

नई दिल्ली । प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉननिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्ण व की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉ निकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉ निकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णएव की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉ निकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ता क्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा, सहकारिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉननिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और एनसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस मौके पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स सहकारिता की आत्मा हैं। इन्हें लगभग 20 सेवाओं के प्रदाता बनाकर बहुद्देश्यीय बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और कृषि विकास में पैक्स की भूमिका और योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने इस समझौते को सबके लिए विन-विन सिचुएशन बताते हुए कहा कि इससे सहकार से समृद्धि और सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न तो पूरा करने में मदद मिलेगी ही, साथ ही सहकारिता और किसान दोनों मज़बूत भी होंगे। अमित शाह ने कहा कि इससे सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का कॉसेप्ट देश की छोटी से छोटी इकाई तक बेहद सरलता से पहुंच सकेगा।

उन्होंने कहा कि देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी है और इतने बड़े सेक्टर के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के सामने पैक्स को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना सबसे बड़ी समस्या थी और आज पैक्स की कार्यप्रणाली में कई नए आयामों को जोड़कर एक नई शुरूआत हुई है। पैक्स अब जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र सहित 20 अलग-अलग गतिविधियां चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य समान सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को पैक्स के माध्यम से ग्रामीण आबादी को उपलब्ध कराना है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने और हर पंचायत में एक बहुद्देश्यीय पैक्स की रचना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की नींव भी रखी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम लगभग 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा सभी स्टेकहोलडर्स के साथ चर्चा करके मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजे गये हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज हुए इस समझौते के अंतर्गत पैक्स अब सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम तो होंगी ही, इसके साथ ही पैक्स के 13 करोड़ किसान सदस्यों सहित ग्रामीण आबादी को पैक्स के माध्यम से 300 से भी अधिक सीएससी सेवाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद मिलेगी। इस पहल से पैक्स, सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होंगी, जिनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन/अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि-इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस व विमान टिकट सम्बन्धी सेवाएँ, आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही पैक्स कम्प्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित किये जा रहे राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए भी किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

एक भी पात्र हितग्राही शासन की योजना से वंचित नहीं रहे : सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल : सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया के कहा है कि ग्राम पंचायत में एक भी पात्र हितग्राही शासन की योजना से वंचित नहीं रहे। ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव इसे सुनिश्चित करें, यह उनकी जिम्मेदारी है। मंत्री डॉ. भदौरिया भिंड जिला के अटेर विकासखण्ड के ग्राम बलारपुरा में विकास यात्रा को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने विण्डवा, खिपौना एवं मघेरा ग्राम में भी जन-संवाद किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामों में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी दी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने विकास यात्रा के दौरान ग्रामों में विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति-पत्रों का वितरण किया। उन्होंने ग्राम बलारपुरा में 7 लाख 8 हजार, ग्राम विण्डवा में 3 लाख 53 हजार, ग्राम मघेरा में 19 लाख 95 हजार और ग्राम खिपौना में 4 लाख 87 हजार रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन यात्रा में साथ थे।

फसल उपार्जन के लिए पंजीयन 28 फरवरी तक

राजगढ़। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेंहू, चना, मसूर और सरसों फसल के उपार्जन के लिए किसान 28 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। जिसके तहत अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। इससे पंजीयन केन्द्रों में लाईन के माध्यम से पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। किसान स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक का उपयोग कर पंजीयन कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत व तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। सहकारी समिति व विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान एप के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है, जबकि एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र अथवा निजी साइबर कैफे से पंजीयन करवाने पर 50 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। सःशुल्क पंजीयन के लिए खाद्य विभाग के कार्यालय से उपार्जन नीति शर्तों के तहत पंजीयन के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।

राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सहकारी समितियों की ताकत का लाभ उठाने और उन्हें 'सहकार-से-समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सफल और जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सहकारी समितियों के पास देश के ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर से सहकारी समितियों के संबंधित क्षेत्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष संगठनों के रूप में काम करने वाली तीन नई समितियों को स्थापित करने और बढ़ावा देने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एक बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, जैविक उत्पादों के लिए दूसरी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति और तीसरी राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया।

बीज टिकाऊ कृषि के लिए बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। अन्य सभी आदानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल उत्पादन में अकेले गुणवत्ता वाले बीज का प्रत्यक्ष योगदान फसल के आधार पर लगभग 15-20 प्रतिशत होता है, और इसे अन्य आदानों के कुशल प्रबंधन के साथ 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में बीज उद्योग में विकास, विशेष रूप से पिछले 60 वर्षों में, बहुत अधिक हुआ हैं। राष्ट्रीय बीज परियोजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बीज उद्योग का पुनर्गठन किया गया, इसे एक संगठित बीज उद्योग को आकार देने में पहला मोड़ कहा जा सकता है। नई बीज विकास नीति (1988-1989) की शुरूआत भारतीय बीज उद्योग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने बीज उद्योग के चरित्र को ही बदल दिया। नीति ने भारतीय किसानों को दुनिया में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम बीज और रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान की। नीति ने भारतीय बीज क्षेत्र में निजी व्यक्तियों, भारतीय कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसमें से प्रत्येक बीज कंपनियों में उत्पाद विकास के लिए मजबूत आरएंडडी आधार के साथ अनाज और सब्जियों के उच्च मूल्य संकर और बीटी जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों पर अधिक जोर दिया गया। नतीजतन, किसान के पास उत्पाद का व्यापक विकल्प है और बीज उद्योग आज 'किसान केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए तैयार है और बाजार संचालित है।

कंपनियों की संख्या 500 से ऊपर

निजी क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में बीज उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। वर्तमान में, बीज उत्पादन या बीज व्यापार में लगी कंपनियों की संख्या 500 से ऊपर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों में अभी भी अनाज, दलहन और तिलहन का वर्चस्व है। मुख्य रूप से मक्का, सूरजमुखी और कपास के मामले में निजी क्षेत्र की कंपनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि, सब्जियों के बीज और बागवानी फसलों की रोपण सामग्री के मामले में, निजी क्षेत्र प्रमुख खिलाड़ी है। चूंकि निजी क्षेत्र गेहूं, धान, अन्य अनाज, तिलहन और दालों की उच्च मात्रा कम मार्जिन वाली फसलों के बीज उत्पादन में प्रवेश करने के लिए उत्साहित नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगम कई और वर्षों तक अनाज, दालों और तिलहन में प्रमुख बने रहेंगे। हालांकि, आगे आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित रहने और राष्ट्रीय स्तर पर अपने योगदान को बढ़ाने के लिए राज्य बीज निगमों को बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों, दृष्टिकोण और प्रबंधन संस्कृति के मामले में खुद को उद्योग के अनुरूप बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

47 प्रतिशत किसानों को ही उन्नत बीज

भारत में बीज उद्योग का बाजार 2021 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। उम्मीद है कि 2027 तक यह बाजार 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2021-2027 के दौरान 12.75 प्रतिशत का सीएजीआर प्रदर्शित करता है। अभी केवल 47 प्रतिशत किसानों को ही उन्नत बीज मिल पाते है।

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति के गठन का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह समिति बीज प्रतिस्थापन दर और वैराइटी प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने में मदद करेगी। सहकारी समितियों के सभी स्तरों के नेटवर्क का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण बीजों की खेती और बीज किस्म के परीक्षण, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करना होगा।

सोसायटी गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी; सामरिक अनुसंधान और विकास; और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जायेगी। बहु-राज्य सहकारी समितियों (रूस्ष्टस्) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी, और यह प्रासंगिक मंत्रालयों विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समर्थन से काम करेगी।

प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ जिनमें प्राथमिक समितियाँ, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ और फारमर्स प्रोड्यूसर कंपनियाँ (स्नक्कह्र) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इन सभी सहकारी समितियों के बोर्ड में उनके चुने हुए प्रतिनिधि होंगे।

खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी

गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। सदस्यों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन और व्यापार द्वारा उत्पन्न अधिशेष को लाभांश के रूप में वितरित करने से किसानों एवं समितियों को लाभ होगा तथा कृषि और सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे; आयातित बीजों पर निर्भरता कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना और 'आत्मानिर्भर भारत' (आत्मनिर्भर भारत) की ओर अग्रसर करने के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

पांच बड़ी सहकारी समितियां

इफको और एनडीडीबी सहित पांच बड़ी सहकारी समितियां नई घोषित राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति की प्रवर्तक होंगी। इफको, कृभको, नेफेड और दो वैधानिक निकाय – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) प्रस्थापक सदस्य होंगे। प्रत्येक द्वारा रू 50 करोड़ का योगदान सीड मनी के बनाने के लिये किया जायेगा। इससे बीज सहकारी समिति के प्रमोटर सदस्यों के योगदान से राष्ट्रीय स्तर के बहु-राज्य बीज समिति के पास 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 250 करोड़ रुपये पेडअप केपीटल शेयर पूंजी होगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई सहकारी बीज समिति को ब्रीडर बीज और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। आज तक केवल बड़े किसान बीज उत्पादन, वितरण और विपणन में शामिल थे और बीज व्यवसाय से सभी लाभ प्राप्त कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार बीज सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि 29 करोड़ छोटे और सीमांत सहकारी किसान सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, वितरण, विपणन और पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण का लाभ मिले।

सोसायटी के उपनियमों के अनुसार आरक्षित एक हिस्से को बनाए रखने के बाद लाभांश का वितरण 'प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ जिनमें प्राथमिक समितियाँ, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ और फारमर्स प्रोड्यूसर कंपनियाँ (स्नक्कह्र) शामिल हैं, के भाग लेने वाले 29 करोड़ किसान सदस्यों को किया जाएगा।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए मिलेगा शहद-च्यवनप्राश

वन मंत्री डॉ. शाह ने जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ

भोपाल : वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों के कुपोषित बच्चे, जो आँगनवाड़ी में अध्ययनरत हैं, उन्हें 6-6 महीने की राशि और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। डॉ. शाह खण्डवा जिले के वन ग्राम आँवलिया में जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केन्द्र के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे।

वन मंत्री डॉ. शाह ने प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों के प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यशाला में कहा कि तेन्दुपत्ता संग्राहकों के बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा महुआ का च्यवनप्राश बनाया जाएगा। कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन 10 ग्राम शहद और 15 ग्राम च्यवनप्रास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रबंधकों की मृत्यु होने की दशा में विभाग द्वारा उनके परिजन को 6 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी।

मासिक मानदेय में वृद्धि

वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधकों को आगामी अप्रैल माह से मौजूदा मासिक मानदेय 10 हजार से बढ़ कर 13 हजार रूपए मिलने लगेगा।

10 टी.बी. मरीज को पोषण आहार वितरित

वन मंत्री ने प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान में खालवा ब्लाक के चिन्हित 10 टीबी मरीज को पोषण आहार वितरित किया। उन्होंने वनग्राम आंवलिया परिसर में पौध-रोपण भी किया।

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं,म.प्र.भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/2023/97 भोपाल, दिनांक 31/01/23

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त,
   सहकारिता,
   समस्त संभाग म.प्र.

2. उप/सहायक आयुक्त,
   सहकारिता,
   समस्त जिले म.प्र.

विषय–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक–20 प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2023.

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (7–क) के खण्ड (ख), धारा 53 (1) एवं धारा 53 (12) में संशोधन कर म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24.01.2023 को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित कराया गया है। उक्तानुसार संशोधन राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रभावशील हो गया है। म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.01.2023 की प्रति सहकारिता विभाग की वेबसाईट **https://cooperatives.mp.gov.in** अथवा शासकीय मुद्रणालय की वेबसाइट **https://govtpressmp.nic.in** से डॉउनलोड किया जा सकता है।

(आलोक कुमार सिंह)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक,सहकारी संस्थाएं म.प्र.
भोपाल, दिनांक 31/01/23

पृ0कमांक/विधि/2023/97

प्रतिलिपिः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव,म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश ।
4. प्रबंध संचालक, समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं म.प्र.।
5. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित समस्त म.प्र.।
7. समस्त राजपत्रित अधिकारी सहकारिता विभाग मुख्यालय भोपाल।
8. रजिस्ट्रार, म.प्र.राज्य सहकारी अधिकरण विन्ध्याचल भवन भोपाल।
9. उप आयुक्त, आई.टी मुख्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु । की ओर राजपत्र की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक,सहकारी संस्थाएं म.प्र.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023—माघ 4, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

40 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2023

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४९ में, उपधारा (७–क) में, खण्ड (ख) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा ५३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१२) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्त:स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ (क्रमांक २ सन् २०२३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 2 OF 2023

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 49. 2. In Section 49 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (7-A), in clause (b), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.

Amendment of Section 53. 3. In Section 53 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.

(ii) in sub-section (12), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.

सहकारी निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की पहल पर दिनांक 19.01.2023 से 02.02.2023 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के सहकारिता विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, एवं राज्य संघ के अधिकारियों, कर्मचारियों का निर्वाचन प्रक्रिया पर एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा तैयार की गई निर्वाचन में आने वाली उपयोगी जानकारी चेक लिस्ट क्रमांक 01 एवं 02 का समस्त विवरण भरे जाने की प्रक्रिया, आपत्तियों का निराकरण जैसे विषयों पर तथा उपविधि अनुसार सदस्यता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण निर्धारित तिथियों में प्रदेश के संभाग– सागर, जबलपुर, इन्दौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चम्बल, भोपाल, उज्जैन व रीवा जिलों से प्रतिभागियों को आमंत्रित कर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में प्रथम कालखण्ड में विभिन्न

जिलों की सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन से संबंधित व्याप्त आपत्तियों का निराकरण किया गया। प्रशिक्षण में प्रमुख उदबोधन श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, श्री एम.बी. ओझा, म.प्र. सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एवं श्री उमेशकुमार तिवारी, उपसचिव, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को दिया गया। प्रशिक्षण में समय–समय पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ के अधिकारी भी मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित रहे। उक्त तिथियों में प्रशिक्षण का संचालन श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, राज्य सहकारी संघ द्वारा किया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों मे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

विदिशा। सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र भोपाल द्वारा अजीविका मिशन के ब्लॉक ऑफिस ग्राम सुनपुरा ग्राम उदयगिरी, ग्राम पीपलहुडा के अवेला एवं ग्राम चिरौली में माह जनवरी 2023 में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मो, शाहिद खांन एवं प्रशिक्षिका श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तवव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रशिक्षिका श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तधव ने महिला सदस्यों को संघ का परिचय देते हुए उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं एवं व्यवसाय के बारे में विस्तृत विवरण दिया तथा उनसे चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दुर्गा आजीविका स्वयं सहायता समूह, प्रतिज्ञा आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम अबेला पीपलहुडा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एस एच जी अध्ययक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव सहित ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। संघ मुख्यालय की प्रशिक्षिका श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव, प्रशिक्षक श्री मो, शाहिद खांन, एस एच जी पंच सूत्र, कम्प्यूटर ट्रांजेक्शन, सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता से संभावित व्यवसाय पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अन्त मे प्रशिक्षिका श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव, प्रशिक्षक श्री मो, शाहिद खांन द्वारा अजीविका मिशन के ग्राम संगठन एवं ग्राम जिला पंचायत डे मिशन की विदिशा ब्लॉक पर प्रबंधक सहायक सुश्री शहनाज खांन एवं प्रबंधक श्री लोधी जी कार्यक्रम को सफल बनाने के हेतु धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र भोपाल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति आदमपुर छावनी एवं अमझरा में माह जनवरी 2023 में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक विनोद कुमार कुशवाहा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक सदस्यों को संघ का परिचय देते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया तथा उनसे चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने बडी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के अन्त मे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति आदमपुर छावनी के प्रबंधक श्री महाराज सिंह एवं अमझरा के श्री राजू कुशवाह, सहायक प्रबंधक का आभार व्यक्त किया।

विकास यात्रा से हर घर-परिवार तक पहुंचने का प्रयास : सहकारिता मंत्री

विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और योजनाओं में हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा है कि विकास यात्रा से सरकार हर घर–हर परिवार तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। किसी कारण से कोई व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित है, तो उसे चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाना विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने भिण्ड जिले के अटेर विकासखण्ड के ग्राम पावई, बिरगवाँ, पाली और पिथनपुरा में ग्राम विकास यात्रा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास–लोकार्पण किया, योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति–पत्र प्रदान किये और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि जिले का हर गाँव आत्म–निर्भर हो। उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि गाँव का एक भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं, बल्कि विकसित राज्य की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है, विकास की इस यात्रा का श्रेय निःसंदेह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री ने गरीबी एवं कुपोषण उन्मूलन, गरीब बेटियों के विवाह और जिनका कोई नहीं है उनके लिये संबल जैसी अभूतपूर्व योजनाओं को सफलता से लागू कर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि अनाज के लिए कृषि सबसे जरूरी है और कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अटेर क्षेत्र की कनेरा सिंचाई परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल गई है। परियोजना का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। परियोजना से अटेर क्षेत्र की लगभग 15 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने ग्राम पावई में विकास यात्रा रथ को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। उन्होंने जल कलश–यात्रा का पूजन किया। मंत्री डॉ. भदौरिया ने ग्राम पावई में 27 लाख 77 हजार, ग्राम विरगवां में 33 लाख 18 हजार, ग्राम पाली में 24 लाख 15 हजार और ग्राम पिथनपुरा में 17 लाख 41 हजार रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

दुग्ध सहकारी समिति बड़ागांव में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र जबलपुर द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या. बडागांव (कटनी) में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक पीयूष राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी दुग्ध सीड केन्द्र कटनी के श्री बी. के. मोर्या उपस्थित रहे। प्रशिक्षार्थियो मे बडागांव समिति के अध्यक्ष श्रीमती सुरभि यादव, सचिव श्रीमती पूजा यादव एवं समिति के अन्य सदस्यो ने प्रशिक्षण मे भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे गतिमान करते हुए प्रशिक्षक पीयूष राय ने प्रशिक्षार्थियो को समिति के संचालन एंव गतिविधियो तथा संभावित नवीन क्षेत्रों में सहकारी समिति के गठन के बारे मे चर्चा करते हुए कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने बडी संख्या में प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम के अन्त मे श्रीमती आरती यादव जी ने आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में म.प्र. की कृषि विकास दर में हुआ निरंतर सुधार : मुख्यमंत्री श्री चौहान

- परम्परागत मोटे अनाज के उत्पादन एवं उपयोग को अभियान के रूप में लें
- कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करें
- उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने प्रयास जारी
- बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के समक्ष विचारणीय विषय
- मुख्यमंत्री ने इंदौर में जी-20, कृषि कार्य समूह की पहली बैठक को किया संबोधित
- अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अतिथि देवो भव: की भावना के साथ जी-20 के सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन का ध्येय वाक्य "एक धरती-एक परिवार-एक भविष्य" भारतीय विचार परम्परा में सदियों से विद्यमान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का श्लोक सभी के सुखी, मंगलमयी, रोगमुक्त होने और सबके कल्याण की कामना करता है। भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानता और उसको क्रियान्वित करता है। जी-20 की सोच भी इसी के अनुरूप है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। विश्व का मात्र 12 प्रतिशत भू-भाग कृषि के योग्य है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की माँग 345 बिलियन टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2000 में यह माँग 192 बिलियन टन थी। यह प्रत्यक्ष है कि न तो कृषि भूमि में वृद्धि होने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि कृषि योग्य भूमि का हम समुचित उपयोग भी करें और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम उपयुक्त प्रयास भी करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं स्वयं भी एक किसान हूँ। मैंने अपनी आजीविका का निर्वहन कृषि गतिविधियों से करने का प्रण लिया है। भारत में कृषि को श्रेष्ठतम कार्य माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में लोग आज भी कृषि कार्य में लगे हैं। मैं स्वयं भी माह में एक बार अपने खेत पर अवश्य जाता हूँ और खेती में नवाचार का प्रयास भी करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि हमें दुनिया की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करना है तो हमें प्रतिबद्धता के साथ कुछ कार्य करने होंगे। पहले तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, नई तकनीक और नए बीज के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं। छोटे-बड़े किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। इससे आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में एक दशक से कृषि विकास दर में निरंतर सुधार हुआ है। प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सोया के उत्पादन में 60 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश की रही है। देश में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश, मध्यप्रदेश है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हमने हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के कार्य उल्लेखनीय है। वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल साढ़े 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इसे बढ़ा कर अब हम 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के इस्तेमाल को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ उत्पादन की लागत कम करना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अनाज, फल, सब्जी का कोई विकल्प नहीं है। इनके उत्पादन के लिए हमें किसान को महत्व देना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने, उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में नई किफायती टेक्नोलॉजी के उपयोग और मैकेनाइजेशन के साथ किसानों की सहायता के लिए भी उपक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्थापित किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मध्यप्रदेश ने भी अपनी ओर से राशि जोड़ी है। इसका उद्देश्य कृषि की लागत में किसान को सहयोग करना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य दिलवाना भी आवश्यक है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लागू है। साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान की सहायता के लिए भी राज्य और केंद्र सरकार सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मध्य प्रदेश में आरबीसी 6/4 में किसानों को सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए भी प्रयास आवश्यक हैं। फूल-फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी के साथ पशुपालन, मछली-पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परंपरागत मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। इस गतिविधि को "श्री अन्न" का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। हम हर संभव प्रयास करें कि यह पोषक अनाज धरती से लुप्त न हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती के स्वास्थ्य की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्त्तव्य है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेतहाशा उपयोग ने धरती के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत का सदियों से मानना है कि प्रकृति का शोषण न हो, हम केवल प्रकृति का दोहन करें। प्राकृतिक संतुलन के लिए मनुष्य के साथ ही जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का अस्तित्व में रहना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम विश्व की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के साथ ही पृथ्वी के स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य और प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संवेदनशील हों। जो तकनीक अपनाएँ वह सभी के अस्तित्व के लिए मित्रवत हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जी-20 सम्मेलन में पधारे अतिथियों को मध्यप्रदेश के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का निमंत्रण भी दिया।

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सदस्य सुश्री कविता पाटीदार, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, जी-20 के सदस्य देशों, अथिति देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

अमृतकाल में सहकारिता की अहम भूमिका....

वे बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराने के कारण अर्थव्यवस्था की चालक भी हैं और भारत के बढ़ते निर्यात बाजारों में अहम योगदानकर्ता भी। सहकारी समितियों की सफलता की तमाम कहानियां हैं। डेरी सहकारी समितियों ने देश में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की, जिससे निकला अमूल आज प्रचलित नाम बन गया है। इसी तर्ज पर कुछ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ हर घर में पहुंच रहा है। इफ्को और कृभको आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं ने देश में कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर कई सहकारी समितियां, जैसे शहरी सहकारी बैंक, पैक्स, आवास और मत्स्य पालन सहित अन्य अनेक सहकारी समितियां, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

आज देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्माता, उपभोक्ता, वित्तीय पोषण या किसी न किसी अन्य रूप में सहकारिता से जुड़ी हुई है, जिसमें सहकारी समितियां पैक्स के माध्यम से देश के 70 प्रतिशत किसानों को कवर करती हैं। देश में 33 राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, 363 जिला स्तरीय सहकारी बैंक और 63,000 पैक्स हैं। इसके अलावा, देश के 19 प्रतिशत कृषि वित्त का प्रबंध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही 35 प्रतिशत उर्वरक वितरण, 30 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन, 40 प्रतिशत चीनी उत्पादन, 13 प्रतिशत गेहूं की खरीद और 20 प्रतिशत धान की खरीद केवल सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। लगभग 500 सहकारी समितियों को जेएम पोर्टल में भी पंजीकृत किया गया है, जिससे वे 40 लाख से अधिक विक्रेताओं से खरीदारी कर सकें। जिस तरह मोदी जी ने 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के साथ हाल तक उपेक्षित रहीं सहकारी समितियों को देश के आर्थिक परिदृश्य में आगे लाने का काम किया है, उससे वे जल्द ही भारत के विकास इंजन की एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी कड़ी साबित होंगी।

मध्यप्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएँ

भोपाल : निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फसलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया हैं जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की उम्मीद है। देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को "फ़ूड बास्केट ऑफ इंडिया" कहलाने का गौरव मिला हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। "शरबती गेहूँ" का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूँ का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है।

राज्य का कृषि-जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभक्त है। इससे कृषि उपज में विविधता दिखायी देती है। प्रदेश में 10 प्रमुख नदी घाटियाँ और 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले अंतर्देशीय जल निकाय, 17 हजार किलोमीटर से अधिक फैली हुई नदियाँ और नहरें, 60 हजार हेक्टेयर से अधिक छोटे-बड़े तालाबों से पानी की भरपूर उपलब्धता से राज्य में कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है।

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खाद्य प्र-संस्करण

मध्यप्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवद्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र कोबढ़ाने के लिये भी कई कार्य किये

जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्मलाइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उत्पादक सहकारी समितियाँ और सहकारी समितियाँ अपनी संपूर्ण मूल्य श्रंखला के साथ सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

वर्ष 2021 में दुनिया के खाद्य प्र-संस्करण बाजार का आकार $5.7 ट्रिलियन था। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 7.60 प्रतिशत की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया प्रशांत इस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया जैसे उभरते बाजार तेजी से वैश्विक विकास को गति देंगे। बढ़ते ग्राहक आधार के करीब होने के लिए विनिर्माण और प्र-संस्करण तेजी से इन बाजारों में जायेंगे। भारत का खाद्य उत्पादन उद्योग 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचेगा। भारत की विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन में एक मजबूत स्थिति है और इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है।

इस परिदृश्य में मध्यप्रदेश, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिये लगातार काम कर रहा है। राज्य में 8 स्थान पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भण्डारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहाँ 3 लाख 54 हजार वर्गमीटर की कुल सीमा के साथ एक विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने फूड इनोवेशन हब विकसित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। राज्य में पहले से ही 5 प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र के लिए मूल्य श्रंखला में मौजूदा कार्य बल को शिक्षित करने और प्रतिभाशाली कौशल बल जोड़ने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के ईतर भी प्रोत्साहनों से उद्योगों को आकर्षित कर रही है।

मध्यप्रदेश ने हाल के दिनों में कैडबरी, आईटीसी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज नामी कम्पनियों को शासन स्तर से अनुकूल नीतिगत बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर निवेश को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग समर्थक नीतियाँ बनायी हैं। वित्तीय मोर्चे पर, खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का डेढ़ गुना है। राज्य ने अपने निर्यात को वर्ष 2005-06 में 83 करोड़ रुपये मूल्य के 9 हजार 600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2021-22 में एक हजार 300 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग एक लाख 43 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पादों को 18 प्रतिशत से अधिक के आश्चर्यजनक सीएजीआर के साथ बढ़ाया है।

एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना में मध्यप्रदेश ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आँवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं।

राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की जलवायु और क्षमताओं के आधार पर किसानों को ऐसी उपज लगाने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे रस, जैम, स्क्वैश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, आवश्यक तेल, लुगदी, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम जैसे प्र-संस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के अलावा, डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। ज्यादातर डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरी प्र-संस्करण की जबरदस्त संभावनाएँ मौजूद हैं। वर्तमान में तरल दूध का हिस्सा राज्य के कुल बाजार हिस्सेदारी का 48 प्रतिशत है। सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में दही, पनीर, यूएचटी दूध, फ्लेवर्ड दूध और छाछ शामिल हैं।

मध्यप्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6 प्रतिशत का योगदान है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन- शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ की अकेले 9 लाख 13 हजार केजीपीडी की औसत दूध खरीद दर्ज की गई है। डेयरी प्र-संस्करण में शामिल प्रमुख कंपनी-उपक्रमों में अमूल साँची, अनित इंडस्ट्रीज सौरभ और पवनश्री फूड इंटरनेशनल शामिल हैं। कुल मिलाकर राज्य में समग्र कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में निवेश के भरपूर अवसर है।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम–8)

1.	प्रकाशन स्थल	: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	: यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं **गणेश प्रसाद मांझी** एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

सही/–

दिनांक 16 फरवरी 2023 **(गणेश प्रसाद मांझी)**

प्रकाशक

को-ऑपरेटिव को बढ़ावा देने से मजबूत होगी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र को 75 साल पहले मान्यता मिल जानी चाहिए थी। अब जाकर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने में को-ऑपरेटिव मददगार हो सकता है। बजट में एग्री एक्सीलरेटर फंड बनाने की जो घोषणा की गई है वह उसी दिशा में बढ़ता कदम है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में को-ऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूत बनाने की पहल की गई है। सरकार ने इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव के माध्यम से विकेंद्रित अन्न भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके लिए बजट में "सहकार से समृद्धि" का नारा दिया गया है। को-ऑपरेटिव क्षेत्र लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। मांग पूरी होने पर को-ऑपरेटिव क्षेत्र की ओर से इस कदम का स्वागत किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। देश के प्रत्येक वंचित ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।

अपने ट्वीट्स में अमित शाह ने कहा कि बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं। बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेच कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। यह किसानों के आय बढाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आन्दोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।

अमीत शाह ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15 फीसदी टैक्स के दायरे में रखने, नकद निकासी पर टीडीएस की अधिकतम सीमा तीन करोड़ रुपये करने, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी व प्राइमरी कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एवं रूरल डेवपलमेंट बैंकों द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य दो लाख रुपये की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी।

इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बजट भाषण पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन का वीडियो साझा कर सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सहकारिता के लिए शानदार और सराहनीय कदम है।

सहकार भारती के अध्यक्ष डॉ. डी एन ठाकुर ने रूरल वॉयस से बातचीत में इस कदम पर खुशी जताते हुए कहा कि ग्रामीण और कृषि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह सकारात्मक पहल है। हमलोग काफी समय से इसकी मांग करते रहे हैं कि अन्न भंडारण क्षमता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बजट में इसे मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र को 75 साल पहले मान्यता मिल जानी चाहिए थी। अब जाकर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने में को-ऑपरेटिव मददगार हो सकता है। बजट में एग्री एक्सीलरेटर फंड बनाने की जो घोषणा की गई है वह उसी दिशा में बढ़ता कदम है। उनके मुताबकि, अब यह स्पष्ट है कि को-ऑपरेटिव का कंट्रोल सरकार अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि धीरे-धीरे उससे बाहर निकलेगी।

नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्थाओं के संचालकों व सदस्यों हेतु तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 08.02.2023 से 10.02.2023 तक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., थांदला के सभागृह में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री दिलीप मरमट, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा कार्यक्रम की रूप रेखा एवं महत्वता की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि श्री डी. सी. भिडे, सहायक आयुक्त सहकारिता जिला झाबुआ एवं प्रशासक जिला सहकारी संघ द्वारा मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं सहकारिता में नेतृत्व विकास पर प्रकाश डाला डॉ. श्री उपेन्द्र वास्केल, पशुचिकित्सक थांदला द्वारा कडकनाथ मुर्गीपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री टी.आर मुणिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा सहकारिता अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। श्री दुर्गेश पालीवाल, प्रबंधक जिला सहकारी संघ मर्यादित, झाबुआ द्वारा संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी दी गई। केन्द्र के प्राचार्य द्वारा लेखा पद्धति एवं संचालक मण्डल की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। सेवानिवृत सहकारी प्रशिक्षक श्री के.के. मालवीय द्वारा आमसभा एवं बैठक संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लेखा संधारण की जानकारी भी दी गई एवं पशुचिकित्सालय झाबुआ के शासकीय कडकनाथ मुर्गीपालन केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम में जिले की कड़कनाथ मुर्गीपालन संस्था के अध्यक्ष व संचालकगण बडी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अन्त में प्रशिक्षणार्थियों से परिचर्चा कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री दिलीप मरमट, प्राचार्य द्वारा किया गया।

शीघ्र आयें प्रवेश पायें

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल द्वारा संचालित
मारवनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-

संपर्क :-

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित
(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु
सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)
माध्यम - ऑनलाईन
योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/
प्रवेश की अंतिम तिथि – 28 फरवरी 2023
कुल फीस - 20200/-
ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के
पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158
Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
9424782856 , 9755844511
Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।